17/2005 हंसराज बनाम लैण्ड होल्डर

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2-2-2021	वकील प्रार्थी एवं लैण्ड होल्डर उपस्थित है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो।
9-2-2021	वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.A. खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:19 IST
Reason: SelfAttested

2014 03.06.2014 9.2.2021

...स्नेश, हरिकेश, बत्तीलाल पुत्रान मीठ्या, जाति बैरवा, निवासी जाट ...दा, तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थीगण

बनाम

...ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

...स्थित :—श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम जरिये नामांकन नंबर 115 दिनांक 24.02.76 को साबिक ख0न0 287 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई थी। तभी से उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है एवं काश्त कर रहे है। हाल बंदोवस्त में उक्त कब्जे काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है जो नियमों के विपरीत है। ऐसा करने का बंदोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है। साबिक नंबर 287 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा से हाल नंबर 625 रकबा 35 एयर एवं 634 रकबा 47 एयर बने है। अतः उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

लैण्डहोल्डर तहसीलदार ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ग्राम जाट बडौदा के खसरा नंबर 625 रकबा 0.35 है0 व 634 रकबा 0.47 है0 हाल रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उनवानी प्रकरण में तहसील कार्यालय के पत्रांक–एल.आर/378 दिनांक 19.03.2005 से हाल ख0नं0 625 रकबा 0.35 है0 व 634 रकबा 0.47 है0 ग्राम जाट बडौदा को सेटिलमेंट द्वारा सिवायचक दर्ज करने की रिपोर्ट भिजवाई गई थी। रिकार्ड का गहनता से अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि उक्त दोनों नंबरों को सेटिलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज नहीं किया गया है बल्कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या–158 दिनांक 05.05.1998 से लावारिसी से राज्य हित में सिवायचक दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या–158 निर्णय दिनांक 05.05.1998 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 20.10.1994 की अनुपालना में साबिक खसरा नंबर 287 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा ग्राम जाट बड़ौदा से बने हाल खसरा नंबर 625 रकबा 0.35 है0 व 634 रकबा 0.47 है0 को राज्य हित में सिवायचक दर्ज किया गया है जिसके अमल का नोट जमाबंदी संवत् 2051–54 के खाता संख्या–77 पर लगाया हुआ है। अतः स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर सेटिलमेंट द्वारा सिवायचक दर्ज न किया जाकर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के आदेश की अनुपालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

20.5.2014 को निर्णय हुआ एवं आदेश दिनांक 3.5.2005 को निरस्त कर दिया गया। भूमि श्रीमान जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के आदेश से सिवायचक दर्ज हुई है। इसलिए प्रार्थीगण का धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 5.5.98 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि ख0न0 625 रकबा 0.385 है0, ख0न0 634 रकबा 0.42 है0 जिसका साबिक ख0न0 287 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा था को इस नामान्तकरण मे अंकित नोट के अनुसार जिला न्यायाधीश महोदय सवाई माधोपुर के आदेश से राज्यहित मे लिया गया है और सिवायचक का नामान्तकरण दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इस सिवायचक दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराना चाहते है। जबकि भूमि जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के आदेशानुसार सिवायचक दर्ज होना पाया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत चलने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:19 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)